

## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :- जगदीश आर्य  
आर.ए.एस.  
निगरानी संख्या :- 01/2020

1. गोपाल पुत्र फूलचन्द जाति यादव निवासी आफरियावाली ढाणी बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
2. गुलाब चन्द पुत्र सुगलाराम जाति यादव निवासी ढाणी नाडावाली बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

निगरानीकर्ता

बनाम

1. प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
3. रामेश्वर प्रसाद यादव पुत्र भूरामल यादव जाति यादव निवासी ढाणी नीमडावाली बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
4. द्वारका प्रसाद शर्मा पुत्र देवी सहाय शर्मा जाति ब्रह्मण निवासी बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)
5. उत्तम कुमार शर्मा पुत्र मुक्तिलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

गैर निगरानीकारण

6. बंशीधर पुत्र सुगलाराम जाति यादव निवासी ढाणी नाडावाली तन बिशनगढ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

तरतीबी गैर निगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरुद्ध प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा दिनांक 02/12/2019 को पारित आदेश जो अपील संख्या 05/2019 उनवानी रामेश्वर प्रसाद वगैरह बनाम गोपाल वगैरह में पारित किया गया।

निर्णय

दिनांक 5.3.2021

पंचायती राज अधिनियम 1994 अन्तर्गत धारा 97 में प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा पारित आदेश 02/12/2019 बाबत अपील संख्या 5/2019 ब उनवान रामेश्वर प्रसाद बनाम गोपाल वगैरह के विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी पेश की है, जिसमें वर्णित तथ्य इस प्रकार पेश हैं :-

यह है कि ग्राम पंचायत बिशनगढ तहसील शाहपुरा के द्वारा निगरानीकर्ता के हक में संकल्प संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 की अनुपालना में दिनांक 20/10/2014 को नियमानुसार उत्तर दक्षिण 30 फिट, पूर्व पश्चिम उत्तर की तरफ 42 फिट एवं दक्षिण की तरफ 50 फिट कुल 153.33 वर्गगज का सीमायें उत्तर की तरफ सार्वजनिक चौक दक्षिण में धोलूराम शिम्भूदयाल यादव की भूमि पूर्व में आम रास्ता दक्षिण में द्वारका प्रसाद का मकान आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 27 दिनांक 20/10/2014 को जारी किया गया, जिसके विरुद्ध प्रत्यार्थीगण संख्या 3 से 5 के द्वारा बिना किसी हक एवं अधिकार के मान्य अधिनस्थ न्यायालय प्रत्यार्थी संख्या 01 के समक्ष पांच साल पश्चात् अपील पेश की गयी, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय प्रत्यार्थी संख्या 1, 2 ने बिना किसी विधिक प्रक्रिया का पालन किये बिना सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना एवं बिना निगरानीकर्ता संख्या 2 एवं तरतीबी गैर निगरानीकार संख्या 6 को सूचना

अति. जिला कलक्टर  
कोटपूतली (जयपुर)

एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना एवं बिना पक्षकार बनाये विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया की पूर्ती किये अपने निर्णय 02/12/2019 के द्वारा ग्राम पंचायत का निर्णय संकल्प संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 की अनुपालना दिनांक 20/10/2014 को खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर पेश की है :-

1. अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थायी समिति शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय 02/12/2019 पत्रावली पर उपस्थित रिकॉर्ड तथ्य एवं दस्तावेजात् विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।
2. गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 द्वारा पट्टा संख्या 27 दिनांक 20/10/2014 संकल्प संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 के विरुद्ध प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति शाहपुरा के यहां अर्सा करीब 5 वर्ष पश्चात् पेश की है जो विलम्ब को क्षमा किया जाना बिना कारण के उचित नहीं होता। दफा-5 प्रार्थना-पत्र बाद में पेश हुआ है। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अपील का निर्णय किये जाने से पूर्व प्रार्थना-पत्र दफा-5 मियाद अधिनियम का निर्णय पहले किया जाने चाहिए था, जबकि उक्त प्रार्थना-पत्र मियाद अधिनियम प्रार्थना-पत्र पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया।
3. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा 25/11/2019 को ईक्कीस व्यक्तियों के नाम संयुक्त रूप से एक नोटिस 02/12/2019 को जारी किया गया है। अपील संख्या 06 उनवानी रामेश्वर बनाम सरपंच वगैरह जो मिसल संख्या 29 के बाबत थी तथा प्रश्नगत मामले में सम्बन्धित अपील संख्या-5 जो पट्टा संख्या 27 से सम्बन्धित थी का संयुक्त रूप से एक निर्णय पारित किया गया है जो दोनों पृथक-पृथक पट्टे एवं सम्पत्ति से सम्बन्धित थी जो दोनों अपीलों का एक निर्णय एवं 21 व्यक्तियों को जारी किया गया एक सम्मन विधिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, जबकि पृथक-पृथक व्यक्तियों को अलग-अलग सम्मन नोटिस एवं पृथक-पृथक निर्णय पारित होने चाहिए थे। इसलिए प्रश्नगत निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता संख्या एक को सुनवायी एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं जवाब देही का कोई युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया है। अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया है जो आक्षेपित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।
5. यह अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा आक्षेपित निर्णय 02/12/2019 मिसल व पट्टे के अवलोकन से मिसल/पट्टे में पैमाईस व मौके की स्थिति में अन्तर पाया गया होना अंकित कर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है, किन्तु पैमाईस/पट्टा व मौके की स्थिति में कितना एवं कैसे किस प्रकार का अन्तर है। इसका आधार क्या है। यह अंकित नहीं किया। इसलिए आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाने लायक है।
6. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 02/12/2019 में पंचायत प्रसार अधिकारी की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने बाबत उल्लेख किया है कि बिन्दु संख्या एक में पट्टा संख्या 27 की भूमि में से 64.17 वर्गगज भूमि 02/12/2015 जरिये विक्रय-पत्र गुलाब चन्द व बंशीधर यादव पुत्रान् सुगलाराम यादव के द्वारा क्रय करना एवं 89.16 वर्गगज पट्टाशुदा भूमि को श्रीमती फूली देवी पत्नी सुगलाराम अहिर निवासी दिशनगढ़ को 27/5/2015 को विक्रय करना एवं उपहार लेख दिनांक 02/12/15 को श्रीमती फूली देवी द्वारा बंशीधर गुलाब चन्द के नाम किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता संख्या 02 व तरतीबी गैर निगरानीकर्ता संख्या 06 को ना तो उन्हें पक्षकार बनाया ना ही सूचना एवं नोटिस जारी किया।
7. यह है कि मानय अधिनस्थ न्यायालय के सम्बन्ध तथ्य स्पष्ट होने के पश्चात् भी पट्टा संख्या 27 की सम्पूर्ण भूमि जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेजात् के निगरानीकर्ता संख्या 2 व गैर निगरानीकर्ता तरतीबी संख्या 6 के स्वामित्व में आ चुकी है। इनमें न तो पक्षकार बनाया एवं ना ही उन्हें कोई सूचना एवं सुनवायी हेतु अपील में नोटिस जारी किये इसलिये प्रश्नगत निर्णय प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने लायक है।

1. जिला न्यायाधीश  
आजमेर

8. अधिनस्थ न्यायालय को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 61 की उपधारा (3) के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे आदेश या निर्देश जिसके विरुद्ध अपील की गयी है को परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति एवं पट्टे/मिसल पैमाईस में अन्तर पाये जाने पर ग्राम पंचायत के निर्णय को परिवर्तित किये जाने का निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। इसलिए भी प्रश्नगत निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।
9. यह है कि प्रत्यार्थी संख्या 3 लगायत 5 किसी प्रकार से व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं एवं ना ही उनके द्वारा अपील में ऐसे कोई किसी प्रकार के तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिनका कोई हित निहित हो तथा किसी प्रकार का उनके कोई अधिकार प्रभावित हो इसलिए भी निगरानीकर्त्ता की निगरानी स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।
10. यह है कि निगरानीकर्त्ता संख्या एक द्वारा ग्राम पंचायत बिशनगढ के समक्ष पट्टा बनाने का निवेदन करने पर आवेदन पत्र पेश करने पर प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 20/6/2014 के द्वारा पत्रावली मौका कमेट्ट द्वारा सिफारित करने पर प्रस्ताव संख्या 2 से दिनांक 05/7/2014 को आपत्ति नोटिस जारी होने तथा कोई आपत्ति पेश नहीं होने गवाहन के बयान लिए जाकर आगामी बैठक 20/8/2014 को पत्रावली प्रस्तुत होने के आदेश जारी हुए तथा ग्राम पंचायत बिशनगढ द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 के द्वारा विस्तृत पट्टा जारी करने का निर्णय पारित कर निगरानीकर्त्ता संख्या एक के द्वारा नियमानुसार राशि जमा कर पट्टा प्राप्त किया गया। उक्त पट्टा सभी विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों से जारी किया गया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं किया है।
11. यह है कि निगरानी आक्षेपित आदेश दिनांक 02/12/2019 के विरुद्ध अन्दर मियाद प्रस्तुत है। उक्त निगरानी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः निगरानी मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपील संख्या 05 दिनांक 19/8/2019 बाबत पट्टा संख्या 27 में पारित निर्णय निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें अन्यथा में मिसल/पट्टे में पैमाईस व मौके की स्थिति में यदि कोई अन्तर पाया जावे तो मौके एवं कब्जे की स्थिति के अनुसार पट्टा जारी करने के आदेश प्रदान करें।
12. निगरानीकर्त्ता द्वारा जरिये वकील निगरानी पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी । रिपोर्ट समायत पायी जाने पर गैर निगरानीकर्त्ताओं को नियमानुसार तल्बी हेत नोटिस जारी किये बाद सूचना एवं तामील होने पर गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 लगायत 5 की ओर से श्री सुनिल शुक्ला एडवोकेट उपस्थित आये तथा उनकी ओर स्थगन प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
13. बहस सुनी गयी। वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम पंचायत बिशनगढ द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 की अनुपालना में गोपाल पुत्र श्री फूलचन्द यादव निवासी बिशनगढ द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 की अनुपालना में गोपाल पुत्र फूलचन्द यादव निवासी बिशनगढ को पट्टा संख्या 27 दिनांक 20/10/2014 सरपंच ग्रा.पं. बिशनगढ द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत आवासीय भूमि का पट्टा 153.33 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है। पट्टाशुदा भूमि के उत्तर में सार्वजनिक चौक दक्षिण में धोलुराम शिम्भूदयाल यादव का मकान पूर्व में आम रास्ता पश्चिम में द्वारका प्रसाद का मकान दर्शित होना अंकित किया हुआ है, जिसके विरुद्ध गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 लगायत 5 द्वारा बिना हक एवं अधिकार के अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना स्थायी समिति शाहपुरा जिला जयपुर के यहा अपील संख्या 06 दिनांक 19/8/2019 को ब उनवान रामेश्वर गोपाल वगैरह पेश की गयी। अपील संख्या 6 दिनांक 19/8/2019 तथा ग्राम पंचायत की पट्टा पत्रावली मिसल संख्या 29 का अवलोकन कर मिसल/पट्टे पैमाईस एवं मौके की स्थिति में अन्तर पाये जाने पर ग्राम पंचायत का संकल्प संख्या 02 दिनांक 20/8/2014 की अनुपालना में 20/10/2014 को अधिनस्थ न्यायालय स्थापना एवं स्थायी समिति शाहपुरा द्वारा दिनांक 02/12/2019 को खारिज किया गया जो उक्त पारित किया

अ. न. जिला कलक्टर  
जयपुर

गया निर्णय पत्रावली पर उपस्थित रिकॉर्ड एवं दस्तावेज एव तथ्यों के विपरीत होने से पृथम दृष्टया खारिज श्रेय है। क्योंकि जारी पट्टा संख्या 27 संकल्प संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 की अनुपालना में दिनांक 20/10/2014 के विरुद्ध पांच वर्ष पश्चात् उक्त अपील पेश की गयी है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर गौर नहीं कर उक्त निर्णय दिनांक 02/12/2019 को पारित कर दिया तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व निगरानीकर्त्ता संख्या एक को सुनवायी का अवसर एवं जवाब देही का कोई व्यक्तिगत अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा ना ही अपील प्रस्तुत होने के पश्चात् कोई नोटिस जारी किया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किये गये निर्णय 02/12/2019 में पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने बाबत उल्लेख किया है। जांच रिपोर्ट में बिन्दु संख्या एक में पट्टा संख्या 27 की भूमि में से 64.17 वर्गगज भूमि 2015 को जरिये विक्रय विलेख गुलाबचन्द व बंशीधर यादव पुत्रान् सुगलाराम यादव के द्वारा खरीद करना एवं शेष 89-16 वर्गगज पट्टाशुदा भूमि श्रीमती फूली देवी पत्नी सुगलाराम अहिर निवासी बिशनगढ को दिनांक 27/5/2015 को खरीद की है तथा उपहार लेख द्वारा दिनांक 02/12/2015 को श्रीमती फूली देवी द्वारा बंशीधर गुलाब चन्द के नाम किया गया फिर भी अपील में निगरानीकर्त्ता संख्या 2 एवं तरतीबी गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 6 को न तो पक्षकार बनाया एवं ना ही उन्हें सूचना एवं सुनवायी हेतु नोटिस जारी किया गया, जबकि उक्त पट्टाशुदा भूमि पर पूर्ण रूप से हक व अधिकार प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में निगरानीकर्त्ता संख्या 01 व तरतीबी संख्या 6 की अनदेखी की है। इसके साथ ही वकील निगरानीकर्त्ता का यह भी अभिकथन है कि गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 लगायत 5 किसी भी प्रकार से पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 61 में वर्णित व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते हैं ना ही अपील में गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 लगायत 5 द्वारा किसी प्रकार के तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिसमें उनका कोई हित निहित हो तथा किसी प्रकार से कोई अधिकार प्रभावित हो रहे हों। निगरानीकर्त्ता संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत बिशनगढ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर मौका कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश कर पट्टा जारी करने की सिफारिस करने पर आपत्ति नोटिस जारी करने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार राशि जमा करायी जाकर पट्टा प्राप्त किया है। उक्त पट्टा नियमानुसार सभी विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया के बाद निगरानीकर्त्ता के पक्ष में जारी हुआ है। इसके बाद निगरानीकर्त्ता संख्या 1 द्वारा उक्त पट्टे की सम्पूर्ण भूमि का बेचान करने पर निगरानीकर्त्ता संख्या 2 व तरतीबी गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 6 को हक हकूक अधिकार प्राप्त हो गये है तथा उक्त पट्टाशुदा भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

अतः निगरानी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 02/12/2019 बाबत पट्टा संख्या 27 को निरस्त फरमावें तथा मिसल/पट्टे की पैमाईस एवं मौके की स्थिति में अन्तर पाया जावे तो मौका एवं कब्जे की स्थिति के अनुसार पट्टा जारी करने के आदेया प्रदान करें।

14. वकील गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 लगायत 5 के वकील द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 लगायत 5 को पट्टे के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी जानकारी होने एवं दस्तावेजात् प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गयी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर सन्तुष्ट होने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवायी कर निर्णय पारित किया है। यदि मियाद के बिन्दु पर अधिनस्थ न्यायालय संतुष्ट नहीं होता है तो प्रारम्भिक स्टेज पर ही अपील खारिज हो जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवायी का अवसर प्रदान कर ही उक्त निर्णय पारित किया है। यदि गुलाबचन्द एवं बंशीधर अपने आपको व्यथित व्यक्ति समझते थे तो उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए था। गुलाब चन्द एवं बंशीधर ग्राम बिशनगढ के व्यक्ति है। उन्हें इस प्रकरण से सम्बन्धित शुरु से ही जानकारी थी। निगरानीकर्त्ता एक अतिक्रमणकारी है। जनहित में अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है।

उति. जिला कलेक्टर  
कोटपूत...

अतिक्रमणकारी न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अतः निगरानीकर्त्ता की निगरानी सारहीन एवं आधारहीन है। ग्राम बिशनगढ के आम रास्ते में अतिक्रमण होने पर नाथूराम यादव द्वारा आम रास्ते पर थडी रख लेने एवं पानी का टैंक बना लेने से ग्राम पंचायत में शिकायत की गयी तब ग्राम पंचायत द्वारा मौक पर कार्यवाही की गयी एवं पट्टा अनुसार मौके पर नाप जोख की गयी। निगरानीकर्त्ता संख्या 1 के पट्टे की चर्चा होने पर दिनांक 29/7/2019 को पट्टा पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गयी, जिस पर पट्टे की जानकारी हुयी। निगरानीकर्त्ता संख्या 1 द्वारा आबादी भूमि में स्थित मकान का नियमितीकरण करने हेतु आवेदन किया था। उक्त आवेदन पर आवेदन करने की कोई तारीख महिना सन् अंकित नीं है। उक्त आवेदन पत्र में अधूरे तथ्य अंकित कर पैतृक मकान का पट्टा चाहा गया है, जिस जगह पर निगरानीकर्त्ता को पट्टा दिया गया है। उस जगह पर पट्टा निगरानीकर्त्ता संख्या 1 का कोई पैतृक मकान स्थित नहीं है ना ही उनके पूर्वज कभी उक्त जगह पर रहे है। इस प्रकार निगरानीकर्त्ता का आवेदन पत्र अधूरा एवं अपूर्ण है। निगरानीकर्त्ता संख्या 1 द्वारा सरपंच ग्रा.पं. बिशनगढ से मिलीभगत करके सार्वजनिक सम्पत्ति को हडप करन की नियत से बिना हक एवं अधिकार से उक्त कार्यवाही की है। अपीलार्थी के पक्ष में सन् 1979 में आबादी भूमि के जारी पट्टों की सम्पत्ति मौजूद है। अपीलार्थीगण के पट्टे प्रश्नगत पट्टे से पूर्व के है। उक्त प्रश्नगत पट्टा गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 लगायत 5 को सम्पत्ति को प्रभावित करता है। इसलिए निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी बिना विधिक प्रक्रिया की पालना किये गुप-चुप तरीके से गलत एवं मिथ्या दस्तावेजात् की रचना कर निगरानीकर्त्ता संख्या एक ने पट्टा प्राप्त किया है जो निगरानी चलने योग्य नहीं है। अतः खारिज फरमावें।

15. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने तथा वकील उभय पक्षों की बहस सुनी जाने के उपरान्त यह पाया कि ग्राम पंचायत बिशनगढ पं.सं. शाहपुरा द्वारा निगरानीकर्त्ता संख्या एक गोपाल के पक्ष में पट्टा संख्या 27 दिनांक 20/10/2014 संकल्प संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 की अनुपालना में पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) आवासीय भूमि का पट्टा दिया जाना पाया जाता है। निगरानीकर्त्ता संख्या एक उक्त पट्टा 153.33 वर्गगज ग्रा.पं. बिशनगढ द्वारा उनके पक्ष में जारी किया है, जिसकी हद हदूद उत्तर में सार्वजनिक चौक दक्षिण धोलूराम शिम्भूराम यादव का मकान पूर्व में आम रास्ता तथा पश्चिम में द्वारका प्रसाद शर्मा का मकान दर्शित किया है। निगरानीकर्त्ता संख्या 1 द्वारा जरिये विक्रय पत्र पट्टाशुदा भूमि सम्पूर्ण को निगरानीकर्त्ता संख्या 2 तरतीबी गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 6 को बेचान कर दिया गया इसके उपरान्त उक्त पट्टेशुदा भूमि पर निगरानीकर्त्ता संख्या 2 एवं तरतीबी गैर निगरानीकर्त्ता का हक हकूक समस्त अधिकार प्राप्त हो गये है तथा उक्त पट्टाशुदा भूमि खरीद करने के पश्चात् से ही उक्त पट्टेशुदा भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे। गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 लगायत 5 द्वारा बिना हक एवं अधिकार के प्रश्नगत पट्टाशुदा भूमि बाबत किसी प्रकार का हित निहित नहीं होने के उपरान्त भी प्रशासन स्थापना स्थायी समिति शाहपुरा के समक्ष निगरानीकर्त्ता संख्या 01 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गयी। अपील प्रस्तुत होने पर अपील संख्या 6 दिनांक 19/8/2019 दर्ज कर उभय पक्षों को सुना जाकर पंचायत प्रसार अधिकारी की जांच रिपोर्ट, पट्टा पत्रावली मिसल संख्या 29 का अवलोकन कर मिसल/पट्टे में पैमाईस व मौके की स्थिति में अन्तर पाये जाने पर अपने निर्णय 02/12/2019 से ग्राम पंचायत का संकल्प संख्या 02 दिनांक 20/8/2014 अनुपालना दिनांक 20/10/2014 को खारिज किया गया। वकील निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्त्ता को बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये एवं बिना जवाब देही का अवसर प्रदान किये दिनांक 02/12/2019 को आदेश पारित कर दिये जबकि निगरानीकर्त्ता संख्या एक को अपील पेश होने के पश्चात् नोटिस जारी करने चाहिए थे। निगरानीकर्त्ता संख्या 01 द्वारा निगरानीकर्त्ता संख्या 2 एवं तरतीबी गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 6 को प्रश्नगत पट्टा संख्या 27 की भूमि बेचान कर दी गयी है इसके बावजूद भी उन्हें सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया जो

अति. जिला कलक्टर  
कोटपुतली (जयपुर)

न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है। उक्त पट्टे का निरस्त करने बाबत शिकायत की जांच, जांच अधिकारी श्री अर्जुनलाल सैनी पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति शाहपुरा पट्टा संख्या 27 दिनांक 20/10/2014 की माप चैक की गयी। माप करने पर जो थडी रखी गयी है जो उक्त पट्टा जारी किया गया है उसके अनुसार कोई अतिक्रमण नहीं है। लेकिन इस पट्टे की माप करने पर पाया कि इस भूमि के पूर्व दिशा में जो रास्ता है उसमें भी 7 फिट 6 ईंच 12 फिट 3 ईंच तक की चौड़ाई का रास्ता पट्टे में आ रहा है तथा इसी के उत्तर में स्थित सार्वजनिक चौक में भी 7 फिट 6 ईंच चौड़ाई के माप में आ रही है। इससे स्पष्ट है कि पट्टे की माप मौका अनुसार सही नहीं है। प्रशासन स्थापना स्थायी समिति शाहपुरा द्वारा पारित निर्णय 02/12/2019 में वर्णित किया है कि मिसल/पट्टा पैमाईस व मौके की स्थिति में अन्तर है। पट्टा पैमाईस व मौका स्थिति में अन्तर पाये जाने पर ग्राम पंचायत बिशनगढ का संकल्प संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 अनुपालना दिनांक 20/10/2014 को खारिज किया गया है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन स्थायी समिति शाहपुरा द्वारा इस अन्तर को समाप्त करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया आदेश/निर्णय को परिवर्तित किये जाने का आदेश/निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ऐसी कार्यवाही के आदेश ना देकर दिनांक 02/2/2019 को मिसल/पट्टा पैमाईस व मौके की स्थिति में अन्तर होना बताया जाकर ग्राम पंचायत का निर्णय संकल्प संख्या 2 दिनांक 20/8/2014 अनुपालना दिनांक 20/10/2014 को खारिज के आदेश पारित कर दिये जो न्यायोचित एवं विधि संगत नहीं है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय को जितनी भूमि की माप मौका स्थिति अनुसार मौके पर स्थित है उतनी भूमि का ग्राम पंचायत को संशोधित पट्टा जारी करने के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निगरानीकर्त्ता के हक में पूर्व में जारी पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही की है वह विधि सम्मत नहीं है एवं निगरानीकर्त्ता के विरुद्ध हुयी कार्यवाही विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत हुयी है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश 02/12/2019 निरस्त किये जाने योग्य है तथा निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत उचित प्रतीत होती है।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील संख्या 5 दिनांक 19/8/2019 बाबत पट्टा संख्या 27 में पारित निर्णय 02/12/2019 को अपास्त किया जाकर ग्राम पंचायत बिशनगढ पंचायत समिति शाहपुरा को आदेश दिये जाते हैं कि निगरानीकर्त्ता की मौके एवं कब्जे की स्थिति अनुसार जितनी भूमि मौके पर शेष बची हुयी है उसके माप अनुसार संशोधित पट्टा नियमानुसार जारी करें। तदनुसार पालना हों।
17. यह निर्णय आज दिनांक 5.3.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त निर्यात करक्टर  
अति. निर्यात करक्टर  
कोटपूतली (शाहपुर)